नई बोलेरो जीप का कैलादेवी में पूजन करा गांव लौट रहे 9 जनों की सड़क हादसे में मौत

करौली मंडरायल रोड पर बोलेरो की ट्रक से आमने-सामने की भिडंत हो गई

- हादसे में एक तीन वर्षीय बालिका सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
- भिडंत इतनी तेज थी कि, बोलेरो जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई।

करौली, 1 जुलाई (नि.स.)। करौली मंडरायल सड़क मार्ग स्थित डूडापुरा गांव के पास ट्रक और बोलेरो जीप की भिड़ंत में 9 जनों की मृत्यु हो गई, तीन वर्षीय एक बालिका सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

मंडरायल सड़क मार्ग स्थित डूडापुरा गांव की सड़क पर एक ट्रक और बोलेरो जीप की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। बताया जा रहा है कि, भिड़ंत इतनी तेज थी कि, बोलेरो जीप पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और घायलों व शवों को कड़ी मशक्कत करके निकाला गया।

बताया जा रहा है कि, तहसील मंडरायल के खिरकन गांव निवासी ये लोग गत दिनों खरीदी एक बोलेरो जीप का कैलादेवी माता के मंदिर में पूजन कराकर वापस गांव लौट रहे थे । इस दौरान ट्रक के साथ आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। मृतकों व घायलों को एंबुलेंस से करौली अस्पताल लाया गया, जहां 9 लोगों की मृत्यु हो गई तथा तीन लोगों को उपचार के लिए जयपुर रैफर कर दिया। हादसे में घायल तीन वर्षीय बालिका का करौली अस्पताल में उपचार चल रहा है।

सड़क हादसे की सूचना मिलते ही करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंच गए। दोनों अधिकारियों ने करौली सामान्य चिकित्सालय जाकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ.रामकेश मीणा को घायलों का अच्छा उपचार करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजवीर सिंह चौधरी, करौली उप जिला कलेक्टर पिंकी गुर्जर, करौली कोतवाली थाना अधिकारी सुनील के अलावा कई अन्य पुलिस और प्रशासन के अधिकारी अस्पताल में तैनात रहे। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामकेश मीणा ने अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों सहित समस्त स्टाफ को तुरंत सक्रिय किया।

हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए रविंद्र पुत्र बृजमोहन, मुस्कान पुत्री विमल मीणा निवासी खिरकन को उपचार के लिए जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रैफर कर दिया गया। इसके अलावा एक महिला हेमा, निवासी भूतकच्चा मध्यप्रदेश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे भी जयपुर रैफर किया गया।

हादसे के दौरान बोलेरो में नारायण मीना नामक व्यक्ति की तीन वर्षीय बालिका सहित 13 महिला- पुरुष सवार थे। हादसे में कटोरी पत्नी ब्रजमोहन, रंजीत उर्फ टिल्लू पुत्र बारेलाल, अतुल पुत्र सुरेश मीना, बिमला पत्नी सुरेश, पिस्ता पत्नी जगमोहन, हीराबाई पुत्री जगमोहन, गुड्डी पुत्री जगमोहन, भानू पुत्र जगमोहन व एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई जिसकी पहचान सार्वजनिक नहीं हो पाई थी।

करौली जिला प्रभारी मंत्री जवाहर सिंह बेडम ने जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर घटनाक्रम की जानकारी ली।

'पिछली केन्द्र सरकार के 17 मंत्री हार गये'

नई दिल्ली, 1 जुलाई। राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान सोमवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि असल में संविधान सब पर भारी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए कुछ भी नहीं था। इससे पहले उन्होंने 1 जुलाई से ही लागू हुए तीन नए आपराधिक कानूनों पर भी सवाल उठाए थे।

- मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि, 2024 का चुनाव अहंकार तोड़ने वाला रहा। हमको घमंडी बोलते थे, लेकिन इनका घमंड टूट गया।

खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि, मोदी ने कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, असल में संविधान सब पर भारी है। उन्होंने कहा कि, 2024 का चुनाव अहंकार तोड़ने वाला रहा। हमको घमंडी बोलते थे, लेकिन इनका घमंड टूट गया।

राहुल गांधी की टिप्पणियों से आक्रोशित भाजपा ने सदन के भीतर व बाहर विरोध प्रदर्शन किया

अमित शाह ने सदन में विरोध जताने के बाद एक्स पोस्ट में कहा कि, राहुल गांधी ने हिन्दुओं को हिंसावादी और झूठा बताया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिये

नई दिल्ली, 1 जुलाई। भाजापा ने सोमवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी को लेकर संसद के बाहर और भीतर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "खुद को हिंदू कहने वाले हर समय हिंसा और नफरत फैलाने' में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि, यह गंभीर मामला है कि राहुल गांधी पूरे हिंदू समाज को हिंसक कह रहे हैं, वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य मंत्रियों ने कांग्रेस नेता से माफी मांगने की मांग की। हालांकि, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा में कहा, "भाजपा, नरेन्द्र मोदी जी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पूरा हिंदू समाज नहीं हैं। हम भी हिंदू हैं।" बाद में केंद्र सरकार के आधा दर्जन से ज्यादा मंत्रियों ने राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी को लेकर पलटवार किया।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले सदन में राहुल पर हमला बोला फिर बाद में सोशल मीडिया 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "हिंदू हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं और नफरत फैलाते हैं..., यह बोलकर राहुल गांधी ने करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया है। इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए।"

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा और उन पर अपने भाषण में झूठ और नफरत का मिश्रण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का पहले दिन का यह सबसे खराब प्रदर्शन था। गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि वह न तो 2024 के जनादेश (उनकी लगातार तीसरी हार) को समझ पाए हैं और न ही उनमें कोई विनम्रता है। नड्डा ने कहा कि गांधी ने देश के मेहनती किसानों और बहादुर सशस्त्र बलों से जुड़े मुद्दों समेत कई मामलों में 'झूठ' बोला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अग्निवीर योजना पर उनके 'झूठे दावे' के लिए केंद्रीय मंत्रियों द्वारा तथ्यों के साथ खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा, "अपनी ओछी राजनीति के लिए वह हमारे किसानों और सुरक्षा बलों को भी नहीं बख्शा।" नड्डा ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा 'स्वस्थ बहस' के बारे में होती है लेकिन विपक्ष अपनी 'गलत विजयवाद' में रचनात्मक नहीं बल्कि विनाशकारी बना हुआ है।

'मेरे पास सदन में माइक बंद कराने की पावर नहीं है'

- लोकसभा अध्यक्ष ने नेताओं के माइक बंद कराने के विपक्ष के आरोपों पर कहा कि, मैं कोई "अनोखा" नहीं, अब से पहले के अध्यक्ष भी मेरी तरह ही सदन संचालित करते थे।
- ओम बिड़ला ने माइक बंद कर देने के सवाल पर कहा, "मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई सांसदों ने माइक म्यूट करने के लिए अध्यक्ष को दोषी ठहराया है। अध्यक्ष सिर्फ उस व्यक्ति का नाम घोषित करते हैं जो बोलना चाहता है और माइक का नियंत्रण अध्यक्ष के पास नहीं होता।"

नई दिल्ली, 1 जुलाई। लोकसभा को संबोधित करते हुए सदन के स्पीकर ओम बिड़ला ने माइक "म्यूट" करने सहित कई मुद्दों पर अपनी बात कही है। नीट परीक्षा मुद्दे पर संसद को संबोधित करते समय राहुल गांधी का माइक बंद होने के बाद विपक्षी सांसदों ने यह मुद्दा उठाया था। सत्र के छठे दिन की कार्यवाही के दौरान ओम बिरला ने टीम इंडिया को विश्व कप जीतने के साथ-साथ लोकसभा में शपथ लेने के दौरान दूसरी टिप्पणियां करने के मुद्दे पर भी बात की।

ओम बिड़ला ने माइक बंद कर देने के सवाल पर कहा, "मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कई सांसदों ने माइक म्यूट करने के लिए अध्यक्ष को दोषी ठहराया है। अध्यक्ष सिर्फ उस व्यक्ति का नाम घोषित करते हैं जो बोलना चाहता है और माइक का नियंत्रण अध्यक्ष के पास नहीं होता।" विपक्ष से अध्यक्ष की भूमिका का सम्मान करने का आग्रह करते हुए उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष एक ही तरह से सदन चलाते हैं।

शपथ लेते समय अतिरिक्त टिप्पणी जोड़ने का मुद्दा उठाते हुए बिरला ने कहा, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार, इस सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेना प्रत्येक सांसद का संवैधानिक दायित्व है।" उन्होंने कहा कि इस शपथ के अपने नियम और कानून हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। बिरला ने कहा, "शपथ की शुरुआत या अंत में कोई भी कथन जोड़ना संवैधानिक नियमों के खिलाफ है। सदस्यों को ऐसा करने से बचना चाहिए।" उन्होंने भविष्य में इस तरह के किसी भी संवैधानिक उल्लंघन से बचने के लिए एक संसदीय समिति के गठन की भी घोषणा की।

उन्होंने सदन में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम और कप्तान रोहित शर्मा को बारबाडोस में आयोजित आईसीसी पुरुष विश्व कप 2024 में उनकी जीत के लिए बधाई भी दी। आज संसद सत्र के छठे दिन लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

'प्रत्येक शहीद अग्निवीर के परिवार को एक करोड़ का मुआवजा'

नई दिल्ली, 1 जुलाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर सोमवार को केंद्र सरकार को घेरते नजर आए। उन्होंने अग्निवीरों के शहीद होने की स्थिति में उनके परिजनों को मुआवजा नहीं दिए जाने का दावा किया। कांग्रेस लीडर ने अपने दावे की पुष्टि के लिए किसी शहीद के परिवार से हुई बातचीत का हवाला दिया। हालांकि, उन्होंने संबंधित शहीद का नाम नहीं बताया। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हस्तक्षेप करते हुए सफाई दी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलतबयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं। किसी भी अग्निवीर के शहीद होने की स्थिति में उसके परिवार को 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल को या तो इस दावे को सत्यापित करना चाहिए या फिर इस गलतबयानी के लिए माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता व केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार किया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, अब हमारे विपक्ष के नेता कुछ ऐसे हैं। जो सभी के साथ भाईचारे का दावा करते हैं मगर हिंदुओं पर हमला भी बोलते हैं।

आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. व भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब गुज़रे जमाने की बात हो गये

एक जुलाई से इन कानूनों का स्थान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ली है

- विपक्षी दलों का कहना है कि, इन कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं हो सका। वहीं सरकार का कहना है कि, अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है।

नई दिल्ली, 1 जुलाई। देश की न्यायिक व्यवस्था में आज से बड़ा बदलाव हो गया है। ब्रिटिश काल से चली आ रही आई.पी.सी., सी.आर.पी.सी. और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब बदल गए हैं। इनकी जगह अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है।

यही नहीं भारतीय न्याय संहिता के तहत देश का पहला केस दिल्ली में एक स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ दर्ज किया गया है। विपक्षी दलों का कहना है कि इन कानूनों को सरकार जल्दबाजी में लाई है और संसद में पर्याप्त डिबेट भी नहीं हो सकी।

वहीं सरकार का कहना है कि अब दंड नहीं बल्कि लोगों को न्याय मिलेगा और हमने गुलामी के प्रतीकों को खत्म कर दिया है। इन नये कानूनों के लागू होने से देश में बहुत से परिवर्तन हो गये हैं।

1. इन कानूनों में प्रावधान है कि ट्रायल पूरा होने के 45 दिन के अंदर फैसला आ जाना चाहिए। इसके अलावा पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर ही आरोप तय होने चाहिए।
2. नए कानूनों के अनुसार कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी थाने में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। इससे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में मदद मिलेगी और समन भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भेजे जा सकेंगे।
3. सभी गंभीर आपराधिक मामलों में क्राइम सीन की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। प्रक्रिया तेज करने के लिए ऑनलाइन समन भेजे जाएंगे। इसके अलावा टाइमलाइन के तहत ही अदालतों में सुनवाई होगी।
4. यदि किसी मामले में पीड़ित को एफआईआर दर्ज करानी है तो वह बिना पुलिस थाने गए भी ऐसा कर सकता है। इससे केस तुरंत दर्ज हो सकेंगे और पुलिस को भी समय रहते ऐक्शन लेने का वक्त मिलेगा।
5. शिकायतकर्ता को एफआईआर की एक कॉपी भी तत्काल मिलेगी।
6. नए कानूनों के तहत महिला और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों के पीड़ितों का अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा।
7. इन नियमों में गवाहों की सुरक्षा पर भी फोकस किया गया है। सभी राज्य सरकारें गवाह संरक्षण योजना पर काम करेंगी। इससे लोगों का न्यायिक प्रक्रिया में भरोसा बढ़ेगा और वे अहम मामलों में भी गवाही देने से बचेंने नहीं।
8. पुलिस की ओर से रेप जैसे संवेदनशील मामलों में पीड़ित के बयान की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी।
9. नए नियमों के अनुसार 15 साल से कम आयु के बच्चों और 60 साल से अधिक आयु के लोगों को थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।
10. इनके अलावा दिव्यांगों और गंभीर रूप से बीमार लोगों को भी थाने में पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

योगी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुये अपने विश्वसनीय अधिकारी मनोज कुमार सिंह को नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है तथा बताया जाता है कि उन्होंने इस विषय में पार्टी हाईकमान से परामर्श नहीं किया है। कल तक की स्थिति यह थी कि 1984 के बैच के आई.ए.एस. अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, जिन्हें कथित रूप से गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन प्राप्त है, जिन्हें मुख्य सचिव के रूप में ढ़ाई साल का सेवा-विस्तार दिया गया था, को चौथी बार सेवा-विस्तार नहीं दिया गया। मिश्रा को चौथी बार सेवा-विस्तार न दिये जाने का राज्य के नौकरशाहों ने स्वागत किया है क्योंकि उनके मुख्य सचिव पद पर बने रहने से 1985, 1986 तथा 1987 के बैचों के बहुत से कनिष्ठ अधिकारियां की पदोन्नतियाँ प्रभावित हो रही थीं। लेकिन गौरतलब बात यह है कि मुख्यमंत्री ने कुल मिला कर अपनी पसंद के अधिकारी को मुख्य सचिव बना दिया। मनोज कुमार सिंह "टीम योगी" के एक हिस्से के रूप में देखे जाते हैं। वे योगी सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं।

- मु.मंत्री योगी ने इस कृत्य से मैसेज दिया कि, वे हाईकमान के घोषित-अघोषित निर्देशों के आगे नहीं झुकेंगे।

इसके साथ ही सिंह को मुख्य सचिव नियुक्त करके योगी आदित्यनाथ ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वे पार्टी हाईकमान के हुकम के समक्ष सिर झुकाने को तैयार नहीं हैं।

गहलोत सरकार ने ई.आर.सी.पी. को ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- इस कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा, राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह, विधायक कुलदीप धनखड़, जसवंत यादव, हंसराज पटेल नेता मौजूद थे।

साथ ही लघु एवं सीमांत किसानों को मुफ्त बीज किट भी दिए जा रहे हैं।

शर्मा ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं। किसान का बेटा होने के नाते मैं किसान भाइयों की तकलीफों से भली भांति परिचित हूं। फसलों के लिए पानी की कमी किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) के लिए केन्द्र सरकार एवं मध्यप्रदेश के साथ एम.ओ.यू. किया गया है। इसमें रास्ते में आने वाले बांधों को भरे जाने का प्रावधान है। परियोजना में अतिरिक्त बांध जोडे जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों की भी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। वह दिन दूर नहीं, जब पूर्वी राजस्थान में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। इस परियोजना से कोटपूतली-बहरोड़ सहित प्रदेश के 21 जिलों को पानी मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, पूर्ववर्ती सरकार ने पानी के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हुए ईआरसीपी सहित प्रदेश की प्रमुख पेयजल परियोजनाओं को अटकाने का काम किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के लिए ईआरसीपी के साथ ही शेखावाटी अंचल के लोगों की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने के लिए यमुना जल समझौते के तहत केन्द्र सरकार और हरियाणा सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने इस संबंध में कभी केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी तक नहीं लिखी।

शर्मा ने कहा कि विराटनगर एक पौराणिक और ऐतिहासिक नगर है। इस क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि के लिए सरकार इसे पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि संशोधित केपीसी परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) में कोटपूतली-विराटनगर क्षेत्र के तीन बड़े बांधों छितोली, जवानपुरा धाबाई एवं बुचारा बांध को जोड़ने से इस क्षेत्र की पानी की समस्या दूर होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. चौधरी चरण सिंह और स्व. अटल बिहारी वाजपेयी किसानों की चिंता करते थे। स्व. वाजपेयी ने किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी किसानों का दर्द और पीड़ा समझते हैं। उन्होंने किसान हित में किसान सम्मान निधि, फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने जैसे कई फैसले किए हैं।

इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, राजस्व राज्यमंत्री विजय सिंह, विधायक कुलदीप धनखड, जसवंत सिंह यादव, हंसराज पटेल सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी एवं बड़ी संख्या में किसान और आमजन उपस्थित थे।

कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन के मुद्दे पर संभावित चर्चा उस समय होने लगी थी, जब एक वोक्किलगा संत ने खुलकर यह वकालत की थी कि डी.के. शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस मांग के बाद भारी हलचल मच गई थी, यहां तक कि सिद्दारमैया के कुछ खास मंत्रियों ने भी प्रदेश में उप मुख्यमंत्रियों की संख्या बढ़ाने को लेकर दबाव बनाना शुरू कर दिया था।

ज्ञातव्य है कि जिस समय सिद्दारमैया व शिव कुमार के बीच कर्नाटक कांग्रेस में बड़ी खींचतान चल रही थी, उस समय डी.के. शिव कुमार ने ही इस बात पर जोर दिया था कि वो केवल अकेले ही उप मुख्यमंत्री होंगे। उस समय पार्टी हाईकमान ने डी.के.एस. को इस बात से आश्वस्त किया गया था कि केवल वे ही उप मुख्यमंत्री होंगे। समझा जाता है कि कुछ उसके चलते ही पार्टी के केन्द्रीय नेतृत्व ने इस व्यवस्था को बनाए रखने का निर्णय लिया है।

सिद्दारमैया से जब मुख्यमंत्री बदलने की किसी पहल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, "कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और इसमें फैसले हाईकमान करते हैं। हम ऐसे मसलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते हैं।" उन्होंने महासंस्थाना मठ के संत के इस बयान पर भी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया जिसमें कुमार चन्द्रशेखरनाथ स्वामी ने बयान जारी कर मांग की थी कि डी.के. शिवकुमार को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। इन दोनों के बीच पद को लेकर अंदरूनी खींचतान के कारण भाजपा को उम्मीद बंधी हुई है कि कांग्रेस की सरकार फिर गिर सकती है। परंतु, कांग्रेस की 135 सीटों के साथ जो उसका जबरदस्त बहुमत है, उसके चलते भाजपा के लिए आपरेशन कमल को सफल बनाना बहुत मुश्किल कार्य है।

भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जैसे नेता व अन्य कभी भी सरकार गिरने की बात करते रहते हैं और संकेत देते है कि पार्टी तो सिर्फ एक ऐसे क्षण का इंतजार है व उम्मीद कर रही है कि कांग्रेस में जो आन्तरिक मतभेद चल रहे हैं, उससे सरकार गिर जाएगी।

कांग्रेस को दोनों नेताओं की जरूरत है। सिद्दारमैया जो अहिन्दा आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा हैं और दूसरे डी.के. शिवकुमार जो वोक्किलगा हैं। कांग्रेस हाईकमान इस बात से चिंतित है कि यदि उसने सिद्दारमैया को हटाने की कोशिश की और शिवकुमार के लिए पद छोड़ने का दबाव बनाया तो अहिन्दा के नेतागण कांग्रेस को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देने लगेंगे। इसी कारण से हाईकमान ने दोनों नेताओं से कहा है कि वे फिलहाल अपने पदों पर बने रहें और सरकार को कुशलता से चलाते रहें।

सी.एम. सिद्दारमैया ने कहा कि यह कांग्रेस हाईकमान पर निर्भर करता है कि वह उनकी कार्य प्रगति का मूल्यांकन करे और निर्णय ले कि उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बना रहना है या नहीं। सिद्दारमैया ने कहा कि, "मैं वही करुंगा जो कांग्रेस हाईकमान कहेगा।" लेकिन पार्टी आलाकमान के लिए व मुख्यमंत्री सिद्दारमैया, शिवकुमार के लिए काफी राहत की बात है कि आलाकमान ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की किसी भी बात को खारिज कर दिया है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की ऐसी मांग करने से बचें। भाजपा यह आरोप लगाती रही है कि दोनों नेताओं के बीच की आपसी खींचतान की वजह से राज्य का कामकाज प्रभावित हो रहा है।

सी.बी.आई. के...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

26 जून को औपचारिक तौर पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत ने उसी दिन सीबीआई की गुहार पर उन्हें इस केंद्रीय जांच एजेंसी की तीन दिनों की हिरासत में भेज दिया था।

हिरासत अवधि समाप्त होने के बाद विशेष अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर शनिवार 29 जून को उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने सीबीआई की ओर से केजरीवाल की हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आग्रह के बाद यह आदेश पारित किया था।

सीबीआई की ओर से दलील दी गई थी कि केजरीवाल एक प्रभावशाली राजनेता हैं। वह हिरासत में नहीं रहने पर सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

राऊज एवेन्यू स्थित अवकाशकालीन विशेष न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत ने 26 जून को केजरीवाल को सीबीआई की तीन दिनों की हिरासत भेजने का आदेश दिया था। हिरासत अवधि 29 जून को समाप्त होने पर सीबीआई ने उन्हें फिर अदालत में पेश किया था।

आबकारी नीति से संबंधित धन शोधन के एक मामले में ई.डी. की 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में बंद मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था।

सीबीआई ने अदालत की अनुमति पर केजरीवाल से 25 जून को जेल में पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद 26 जून को उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।

इससे पहले केजरीवाल को ईडी की ओर से दर्ज मामले में विशेष अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। इस आदेश पर ईडी की गुहार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून के अंतरिम रोक और फिर 25 जून को निलंबित करने का आदेश पारित किया था।

मेधा पाटकर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी रही हैं। इससे पहले अदालत ने 7 जून को हुई सुनवाई में मेधा पाटकर को दोषी करार दिया था और सजा सुनाने के लिए 1 जुलाई की तारीख तय की थी। इससे पहले अदालत ने कहा था कि सक्सेना को 'देशभक्त नहीं, बल्कि कायर कहने वाला और हवाला लेनदेन में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाने वाला पाटकर का बयान न केवल अपने आप में मानहानि के समान है, बल्कि इसे नकारात्मक धारणा को उकसाने के लिए गढ़ा गया था।'

राहुल गांधी व भाजपा के बीच नोंक-झोंक...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- पर, राहुल ने नोंक-झोंक जारी रखते हुए कहा, लोकसभा में आप सबसे वरिष्ठ हो।
- पर, ओम बिड़ला ने दोहराया, मेरी संस्कृति में सिखाया है कि, व्यक्तिगत जीवन में व सार्वजनिक जीवन में जो बड़े हैं उनके सम्मुख झुकना चाहिए, जो बराबर के हैं उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिये।
- पर, राहुल जोर देते रहे कि, सदन में स्पीकर से बढ़कर कोई नहीं होता, और सभी सदस्यों को उनके सामने झुकना चाहिये। मैं भी आपके सामने झुकता हूं, बल्कि समस्त विपक्ष झुकता है।

चित्र भी दिखाया और कहा कि उनका संदेश निडरता और अहिंसा के बारे में हैं। उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए अन्य धर्मों की सीखों का भी उल्लेख किया। राहुल ने विभिन्न धर्मों के सार का जिक्र किया और भाजपा पर तंज कसा कि वह संपूर्ण हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ने आहत कर दिया, जिससे वे हतप्रभ रह गए।

जैसी कि उम्मीद थी, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा उन करोड़ों लोगों, जो हिंदू कहलाने में गर्व करते हैं, की भावनाओं को आहत करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। शाह ने फिर से आपातकाल ओर 1984 के सिख विरोधी दंगों का मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस ने देश में आतंक फैलाया गांधी को अहिंसा की बात करने का कोई हक नहीं है।

गांधी ने निडरता का महत्व बताते हुए कहा, सभी धर्म इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन और सिख निर्भय होने की बात करते हैं। विपक्ष के नेता ने लगता है कि तय कर लिया था कि वे सत्तारूढ़ पार्टी को संविधान के मुद्दे पर घेर कर रहेंगे। उन्होंने भाजपा पर संविधान पर और भारत के मूल विचार पर सुनियोजित हमला करने का आरोप लगाया और कहा कि लाखों लोगों ने सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा प्रस्तावित विचारों का विरोध किया है।

गांधी ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी के आदेश पर मुझ पर हमला किया गया। मेरे खिलाफ 20 से ज्यादा केस हैं, मेरा घर ले लिया गया। ई.डी. ने मुझ से 55 घंटे से ज्यादा पूछताछ की।"

इन चुनौतियों के बाद भी संविधान की रक्षा के सामुहिक प्रयासों पर मुझे गर्व है।

उन्होंने कहा "अच्छा लगता है, जब मेरे बाद भाजपा वाले भी जय संविधान कहने लगे।"

गांधी ने विपक्ष में होने को लेकर भी संतोष जताया और कहा "मैं विपक्ष में आकर खुश हूँ और गौरवान्वित हूँ। हमारे लिए सत्ता से भी कुछ अधिक महत्वपूर्ण है तो वह है सच।"

विपक्ष के नेता के रूप में अपने पहले भाषण में राहुल ने भगवान शिव की तस्वीर दिखाई तो स्पीकर ओम बिड़ला ने उन्हें नियमों का हवाला देकर तख्ती दिखाने से रोका। इस पर राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिडला को घेर लिया और पूछा कि वे प्रधानमंत्री के आगे क्यों झुकते हैं। इस पर अचकचाए बिडला ने संस्कृति का बहाना बनाया और कहा कि बड़ों के आगे झुकना हमारी परम्परा है।

लेकिन गांधी ने तुरंत जवाब दिया सदन में सबसे बड़े स्पीकर होते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग लेते हुए गांधी ने लोकसभा की पहली बैठक का उल्लेख किया जब स्पीकर का चुनाव हुआ था तब वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्पीकर के पास गए थे और उन्हें आसन तक ले गए थे।

गांधी ने कहा, आप लोकसभा में सबसे बड़े पद पर हैं यहां आपका ही आदेश चलता है। आप जो कहते है उससे भारतीय लोकतंत्र की व्याख्या होती हैं।

आसन पर दो व्यक्ति है- एक तो लोकसभा के स्पीकर और दूसरे हैं ओम बिडला।

राहुल ने कहा, "मैंने उस दिन कुछ नोटिस किया, जब आपने मुझ से हाथ मिलाया तो आप सीधे खड़े रहे पर आपने प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाया तो आप झुक गए।"

इस टिप्पणी पर समूचा सत्ता पक्ष हल्ला करने लगा। गृह मंत्री अमित शाह ने भी हस्तक्षेप किया औरा कहा यह तो आसन पर आरोप है। पर बिडला ने कहा कि वे बड़ों का आदर करने की परम्परा निभाते हैं।

स्पीकर ने अपने जवाब में कहा कि "प्रधानमंत्री सदन के नेता हैं। मेरी संस्कृति और परम्परा कहती है कि निजी तौर पर हो या सार्वजनिक जीवन में या इस आसन पर, मुझे बड़ों के आगे झुकना चाहिए और जो समान हों उनसे समान व्यवहार करना चाहिए। मैंने यही सीखा है। मैं इस आसन पर बैठकर भी कह सकता हूँ कि बड़ों के आगे झुकना हमारी परम्परा है और मैं उनके पैर भी छू सकता हूँ।"

गांधी ने कहा कि स्पीकर ने जो कहा उसका वे सम्मान करते हैं पर सदन में स्पीकर से बड़ा कोई नहीं है। सदन में सबको आपके आगे झुकना चाहिए। मैं आपके आगे झुकूंगा और सारा विपक्ष भी, गांधी ने कहा, लोकसभा सदस्य होने के नाते हम सभी आपके अधीन हैं, आप जो कहेंगे हम सुनेंगे पर मेरा एक ही निवेदन है कि सदन में निष्पक्षता होना महत्वपूर्ण है।"

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908